भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 365

जिसका उत्तर 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

14 माघ, 1942 (शक)

मोबाइल एपों को प्रतिबंधित करना

365. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69-क के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता पर खतरे का हवाला देते हुए कई प्रमुख चीनी मोबाइल-एपों जैसे 'अलीसप्लायर्स', 'अलीएक्सप्रेस', 'अली-पे कैशियर' इत्यादि सहित 43 अन्य मोबाइल एपों को प्रतिबंधित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख) : जी, हां। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 क और इसके नियमों यानि, "सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक सूचना के अभिगम के लिए ब्लॉकिंग हेतु प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियमावली, 2009" के प्रावधानों के तहत अलीसप्लायर्स, अलीएक्सप्रेस, अली-पे कैशियर इत्यादि सहित 43 और मोबाइल एप्लीकेशनों को ब्लॉक किया है। इन मोबाइल एप्लीकेशनों को प्राथमिक रूप से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के हित में ब्लॉक किया गया था। ये 43 एप्प देश में सार्वजनिक अभिगम के लिए ब्लॉक किए गए हैं।

****